भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1402
मंगलवार, 26 जुलाई, 2022/04 श्रावण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं

1402. श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सहायता करने के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने या इनकी संख्या बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी प्रयोगशालाएं देश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्थिति को सुधारने में मदद करेंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास ऐसी फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के विनियमन का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान में ऐसी प्रयगशालाओं का उपयोग अपनी पूरी क्षमता से प्रभावी क्षमता से प्रभावी ढंग से किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्तमान फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के स्तर में सुधार करने तथा ऐसी नयी प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की फॉरेंसिक जांच के लिए 7 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के अलावा, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामशः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मेघालय, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव, पंजाब, असम, त्रिपुरा, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू (कमीशन) की गई हैं। डिजिटल धोखाधड़ी/साइबर फॉरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की

जांच करने के उद्देश्य से "केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद" में एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

सरकार ने फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की एक स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर फॉरेंसिक सहित आधुनिक मशीनों और उपकरणों के साथ फॉरेंसिक विज्ञान की उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं विकसित करने में सहायता प्रदान की जा सकेगी। नई सुविधाएं शुरू करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मांग और आवश्यकताओं से जुड़ा एक कार्य है।

फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि करने से एक व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के तंत्र को मजबूती प्राप्त होगी।

(घ): फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय के अधीन "न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय" ने साइबर मामलों के सबूतों की जांच करने के लिए कार्य-पद्धति मैनुअल और साइबर फॉरेंसिक के उपकरणों को शामिल करते हुए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन हेतु उपकरणों की एक मानक सूची जारी की है।

(ङ): पिछले वर्ष केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायालयों और बैंकों से प्राप्त साइबर/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के अंतर्गत, 31354 सबूतों वाले 2190 मामलों का निपटान किया है। केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं (सीबीआई), प्रति माह औसतन 100 आपराधिक मामलों का निपटान कर रही हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निपटान किए जाने-वाले मामलों की सूचना केंद्रीयकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

(च): विद्यमान फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के स्तर को बढ़ाने और इस प्रकार की नई प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और चालू वर्ष के दौरान क्रमशः कुल 6.92 करोड़ रु., 7.91 करोड़ रु., 9.16 करोड़ रु. और 5.19 करोड़ रु. जारी किए गए/उपयोग किए गए हैं। निधियां, वार्षिक बजट में आवश्यकता के अनुसार आवंटित की जाती हैं।

******